न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/3776/2005/धौलपुर

1. किरनदेई बेवा ओमकार पुरी पुत्र मक्खनपुरी
2. नारायणपुरी पुत्र ओमकारपुरी पुत्र मक्खनपुरी
3. लक्ष्मणपुरी पुत्र ओमकारपुरी

–समस्त जाति गुसाई निवासीगण खार का मठ तहसील बसेडी जिला धौलपुर

4. राखनपुरी पुत्र नाहरपुरी – **मृतक (जरिये कायममुकाम)**

4/1. हरिभेजी बेवा राखनपुरी
4/2. ख्यालापुरी पुत्र राखनपुरी
4/3. मेवाराम पुत्र राखनपुरी
4/5. जीवनपुरी पुत्र राखनपुरी
4/6. ईश्वरी पुत्र राखनपुरी

–समस्त कौम गुसाई निवासीगण मठखार तहसील बसेडी जिला धौलपुर

....अपीलांट्स/प्रतिवादीगण

बनाम

1. नरबदा पुत्री मोहरपुरी पत्नि जनकपुरी जाति गुसाई निवासी मई हाल आबाद मिलावली जग्गे की समाधि मौजा खेरागढ तहसील खेरागढ जिला आगरा, उत्तर प्रदेश
2. कठोरी पुत्री माखनपुरी पत्नि जगदीश जाति गुसाई निवासी पिपरउआ तहसील सेपऊ जिला धौलपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः– 19–09–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प–धौलपुर द्वारा अपील सं. 80/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने एक वाद बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती इन्द्राजात, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम मई तहसील बसेडी स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 6 लगायत 8, 36 लगायत 40, 42, 47, 48, 50 लगायत 53, 60, 62, 63, 37/1275 के संबंध में अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जबावदावा पेश कर अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद/वादी को खारिज करने का निवेदन किया। कालान्तर में प्रतिवादीगण ने दिनांक 28–10–1998 को अपना संशोधित जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद/वादी को खारिज करने का निवेदन किया। वाद पत्र, जवाबदावा और संशोधित जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने वाद में अनुतोष सहित 4 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 06–03–2003 पारित की। विचारण न्यायालय ने उक्त आज्ञा इस आशय के साथ पारित की कि मोहरपुरी के खाते की आराजी खसरा संख्या 6 लगायत 8, 36 लगायत 39, 42, 47, 48, 50 लगायत 53, 60 लगायत 63 व 37/1275 वाके ग्राम मई में वादिया को 1/3 भाग की खातेदार घोषित किया

जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की। उक्त आदेश में यह भी विवेचित है कि तहसीलदार बसेडी को कमीश्नर नियुक्त कर पक्षकारों की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजियात में से 1/3 भाग का कुर्रे प्रस्ताव हेतु आदेशित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06-03-2003 से अप्रसन्न होकर किरनदेई वगैरहा ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प-धौलपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 13-07-2005 से अपास्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी बसेडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रख दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13-07-2005 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स की एकपक्षीय बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णयों में यह विवेचित किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादिया को मौहरपुरी की पुत्री नहीं होने का विश्वसनीय व ठोस खण्डन नहीं कर पाये है, उक्त निष्कर्ष उपलब्ध जवाबदावे व मौखिक साक्ष्य के विपरीत है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट तौर पर वादिया मोहरपुरी की पुत्री होने से स्पष्ट तौर पर इंकार किया है एवं अपनी मौखिक साक्ष्य में भी यही कथन किए है। अतः विचारण न्यायालय ने मनमाने तौर पर विवाद्यक संख्या 1 को वादी के पक्ष में निर्णित करने में भूल की है। इसके अतिरिक्त वादिया ने अपनी साक्ष्य से मोहरपुरी की पुत्री होना स्पष्ट किया है, परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को अपने निर्णय में उद्धरित नहीं किया है। आगे बताया कि वादिया की कौनसी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादिया ने अपने आपको मोहरपुरी की पुत्री होना साबित कराया है, इस महत्वपूर्ण

तथ्य पर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर नहीं किया तथा इस बाबत कोई भी विवेचन आक्षेपित निर्णय में नहीं किया है। आगे बताया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद स्वयं को सिद्ध करना होता है जबकि इस प्रकरण में प्रतिवादी पर वादिया को मोहरपुरी की पुत्री साबित नहीं कर पाने का भार गलत तौर पर डाल दिया गया। आगे बताया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं कर आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। उनका यह भी कहना है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस विधिक स्थिति को भी नजरन्दाज कर दिया कि कोई भी दस्तावेज चाहे वह सार्वजनिक दस्तावेज ही क्यों न हो जो साक्ष्य में व रेकार्ड पर प्रदर्श कराकर उसे जरिये साक्ष्य साबित करना होता है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 को भी गलत तौर पर पारित किया है, जिसमें न्यायालय ने वादिया को मौहरपुरी की पुत्री साबित नहीं होने पर भी मोहरपुरी की पुत्री मान लिया गया। यहीं नहीं विरासतन खातेदारी की घोषणा पाने की अधिकारी गलत तरीके से माना है और विरासत के आधार पर बंटवारा कराने की अधिकारी भी अनियमित तौर पर मानकर 1/3 भाग के खातेदार घोषित किए जाने की प्राथमिक डिक्री पारित करने में भूल की है। जबकि वादिया ने अपने वाद को साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं कराया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी आराजी के बाबत रेकार्ड में रेकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा मौके पर काबिजकाश्त है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प–धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी बसेडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–2003 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

6. प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादिया स्वयं को खातेदार मोहरपुरी की पुत्री होने के कारण और मोहरपुरी के देहान्त होने के बाद विरासतन विवादित आराजियात में अपने खातेदारी हक की घोषणा कराने की अधिकारिणी है अथवा नहीं ?

–दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व उपलब्ध रेकार्ड का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण करने पर स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे की मद संख्या 14 में उद्धरित किया कि वादिया का निवास तहसील खेरागढ जिला आगरा है। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष वादिया को अगर मोहरपुरी की पुत्री नहीं होना स्वीकार करते है तो वादिया के पिता व उसके परिवार के बारे में न्यायालय के समक्ष स्थिति को प्रकट करनी चाहिए थी। ऐसा तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट किए जाने पर ही प्रतिवादी के पक्ष का वादिया को मोहरपुरी की पुत्री नहीं होने के कथन को विश्वसनीय माना जाता। तर्क के लिए यदि प्रतिवादी पक्ष वादिया के तहसील खेरागढ उत्तर प्रदेश के निवास स्थान को यदि जानता है तो प्रतिवादी वादिया के माता–पिता व गांव को नहीं जाने। यह कथन मानने योग्य नहीं है। रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि प्रतिवादी ने वादिया के मोहरपुरी का पुत्री होने बाबत पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। इसके अतिरिक्त वादिया द्वारा प्रस्तुत गवाहान जो कि वादिया की जाति व परिवारजन सदस्य प्रतीत होता है, जिसके कथनों का खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया है तथा उक्त गवाह ने स्वीकारोक्ति की है कि वादिया मोहरपुरी की पुत्री है तथा उसके द्वारा वादिया की शादी में सम्मिलित होने के तथ्य को उद्धरित किया है। उक्त गवाह की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष कोई विपरीत तथ्य पेश नहीं किया गया है। जबकि वादिया ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य से स्वयं को मोहरपुरी की पुत्री होना स्पष्ट प्रमाणित किया है। इस प्रकार मोहरपुरी की सम्पत्ति में विरासतन वादिया आराजी में हक व अधिकार पाने की प्रथम दृष्ट्या अधिकारिणी पायी जाती है। रेकार्ड से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि दोनों ही पक्ष विवादित आराजियात पर काबिज है। रेकार्ड में उपलब्ध ग्राम पंचायत

मूड़िफ पंचायत समिति बसेडी द्वारा मौहरपुरी का सजरा प्रदर्शित किया है, जिसके अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत ने मृतक मोहरपुरी के नर्मदा पुत्री के बजाय और कोई वारिस नहीं होना प्रमाणित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादिया व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा उपलब्ध रेकार्ड का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण करने पर इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 1 लगायत 4 को विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचित करते हुए वादिया के वाद में आज्ञा दिनांक 06–03–2003 पारित कर जो प्राथमिक डिक्री जारी की है, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता किया जाना अथवा विधि के विपरीत एवं तथ्यों की अनदेखी किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। अतः हमारी विनम्र राय में मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पायी जाती है।

7. उक्त विधि सम्मत तरीके से पारित निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश अपील को न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अपास्त की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचाराधीन अपील में उपलब्ध रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात के परिप्रेक्ष्य में किए गए विवेचन से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है तथा आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण हम उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं समझते है।

8. बहस के दौरान अपीलान्ट्स पक्ष ने आक्षेप उठाया है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं किया है, इस कारण आक्षेपित निर्णय व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना उचित है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष में अपनी सहमत व्यक्त की है तथा उनके द्वारा पारित निर्णय को आलोच्य अपील के द्वारा यथावत रखे जाने की स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विवाद्यकवार निर्णय पारित किया जाना

आज्ञापक नहीं है। अतः इस बाबत अपीलान्ट्स द्वारा लिया गया आक्षेप निराधार पाया जाता है।

9. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः–

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार समवर्ती निर्णयों में जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विधि सम्मत समवर्ती निर्णय पारित किए है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णयों को अन्यथा सिद्ध करने बाबत अपीलार्थीगण ने अपने पक्ष में किन्हीं तथ्यों को हमारे समक्ष प्रकट नहीं किए है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन व बलहीन होना प्रमाणित होती है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प–धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2005 तथा उपखण्ड अधिकारी बसेडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–2003 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नागा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य